

228

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल रीवा जिला रीवा (म०प्र०)



Rs. 20/-

R-4115-III/14

काशी प्रसाद पिता श्री स्व० जमुना प्रसाद कुशवाहा उम्र-55 वर्ष, पेशा

खेती निवासी वेलवा पैकान तहसील मनगवां जिला रीवा (म०प्र०)

-----निगरानीकर्ता

बनाम्

1. गिरिजाबती पत्नी स्व० श्री जमुना प्रसाद उम्र-75 वर्ष, निवासी -  
वेलवा पैकान तहसील मनगवां जिला रीवा (म०प्र०)
2. कौशल पिता श्री स्व० जमुना उम्र-53 वर्ष,
3. रामनिवास पिता स्व० श्री जमुना प्रसाद उम्र-51 वर्ष,
4. विजय पिता स्व० श्री जमुना प्रसाद उम्र-48 वर्ष,

क्रमांक 3835  
पोस्ट द्वारा आज संतोष पिता स्व० जमुना प्रसाद उम्र-46 वर्ष,

को प्राप्त  
क्रमांक 612-1 क्षमता बेबा राजनिवास उम्र-40 वर्ष,

को प्राप्त  
मण्डल म.प्र. गवर्नर साधना पुत्री राजनिवास उम्र-20 वर्ष,

8. सावित्री पुत्री राजनिवास उम्र-18 वर्ष,

उपरोक्त सभी निवासी वेलवा पैकान तहसील मनगवां जिला रीवा

(म०प्र०)

-----गैरनिगरानीकर्ता

श्री. राजस्व मण्डल द्वारा आज दिनांक 21-11-14 प्रस्तुत किया गया।

एड के  
(M)  
रीडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी खिलाफ प्रकरण क्रमांक-  
16/अ-6अ/2013-14 में अनुचिभागीय  
अधिकारी तहसील मनगवां द्वारा पारित  
आदेश दिनांक -5/11/14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50  
म०प्र०भू०रा०स०।

मान्यवर,

मामले के तथ्य :-

काशी प्रसाद कुशवाहा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० R.4115-III/14

जिला-रीवा

काशी प्रसाद कुशवाहा/गिरजावती वगैरः

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	